

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थनापत्र संख्या 15/104/2020	प्रवेश तिथि 07-12-2020	निर्णय दिनांक 06-04-2021
-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

1. Bank Of Indai, Abank Constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking Act, 1970) Having its Head Office: Bank Of India Star House C-5, "G" Block, Bandra Kurla Complx, Bandra (East), Mumbai 400051. Ph: 022-66684444 And Zonal Office at S.C.O. 76-82, Sector 31 A Chandigarh And Branch Office At Manesar (Haryana).

प्रार्थी

बनाम

1. M/S Hindustan Technomart Through Its Proprietor
Mr. Satya Prakas Sharma S/o Sh. Rameshwr Daval
Address- (i) 3626/11 Mori Gate, Golehakar, Bhola Ram Market, Delhi-110006
Address- (ii) H. No. 46, Colony Vinoba Puri, 2nd Floor, Lajpat Nagar2 Area Near fly Over Ring Road, City Delhi 110024 District South Delhi State: Delhi.
2. Mr. Satya Prakas Sharma S/o Sh. Rameshwr Daval
Address- (i) 3626/11 Mori Gate, Golehakar, Bhola Ram Market, Delhi-110006. Address- (ii) H. No. 46, Colony Vinoba Puri, 2nd Floor, Lajpat Nagar2 Area Near fly Over Ring Road, City Delhi-110024 District South Delhi State: Delhi
3. Mr. Mansh Sharma S/o Mr. Satya Prakash Sharma
Address- H. No. 46, Colony Vinoba Puri, 2nd Floor, Lajpat Nagar2 Area Near fly Over Ring Road, City Delhi 110024 District South Delhi State: Delhi


अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति :-

- (i) Equitable Mortgage of Industrial Building Measuring 304 sq. yds at Plot No. G1/150(B), RIICO Industrial Area, Khushkhera, Bhiwadi, District Alwar, Rjasthan In the name of M/s Hindustan Technomart India Through its Prop. Sh. Satya Prakash Sharma S/o Sh. Rameshwar Dayal. Bounded As Under:-
(On The North By:-G1/112, On The East By:-G1/151, On The West By:-G1/150(A), On The South By:-Road).


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

➤ (ii) **Stock of Glass and Auto Spare Parts.** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तय शुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया। उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्नुमल पहाडिया)
जिला मजिस्ट्रेट अलवर
अलवर (राज.)